

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ अनुसार

आवेदन

प्रति,

मा. मुख्य अभिसूचना अधिकारी,
रेल्वे बोर्ड, रेल भवन,
रायसीना रोड, नई दिल्ली

१. आवेदक का पुरा नाम :- श्री. राजेश सुखदेव पाटील
२. आवेदक का पुरा पता :- ६५, इंदिरा नगर, आट-लरोडी नं.३,
डॉ. आंबेडकर पुल के पास,
पोस्ट- उजनी, नागपूर- ४४०००३.

३. सूचना के संबंध में :-

(एक) सूचना का विषय :- किसी नियम के तहत प्रस्तुत
आवेदन पर कार्यवाही में विलंब
हो जाने पर ~~प्रश्न~~ इसी बीच
नया अध्यादेश जारी हो जाने के
बाद ~~कर्म~~ आवेदन पर कार्यवाही
संबंधी

(दो) सूचना के संबंध में इवही :- सन २०१६

(तीन) आवश्यक सूचना का विवरण :-

(१) यदि कोई कर्मचारी सन २००६ में
प्रचलित नियम/ अध्यादेश अनुसार
किसी विषय पर आवेदन करता है।
तथा सन २०१० तक प्रशासन द्वारा
उक्त आवेदन पर कोई कार्यवाही
नहीं की जाती है। सन २०१० में पुराने
अध्यादेश में दिये गये नियमों में
बदलाव किया जाता है। उसके
बाद (सन २०१० में नया
अध्यादेश जारी हो जाने के बाद)
कर्मचारी के आवेदन पर कार्यवाही
की जाती है। ऐसे स्थिति में
कर्मचारी के आवेदन पर किस
अध्यादेश में जारी नियम अनुसार
कार्यवाही की जानी चाहिए।
इस संबंध में नियम तथा
रेल्वे बोर्ड द्वारा जारी अध्यादेश
की प्रतिलिपि।

RTI CELL
(1) Received on
(2) Case No. 58915
(3) Date 20/11/16

१६/११/१६

(चान) सूचना केसे प्राप्त की जाएगी :- डाक द्वारा
 (पांच) डाक के संबंध में (रजिस्टर्ड/साधारण/शिष्ट) :-
 (एक) सूचना का प्रयोजन :- कार्यवाही हेतु
 रजिस्टर्ड डाक द्वारा

नियम अनुसार जमा फीस का विवरण :-

नियम अनुसार 10/- रुपये फीस के रुप में देवने मनी
 रसीद क्र. 9676919/ दि. 28.04.2016 अनुसार
 जमा कीये जाने संबंधी मुल प्रती संलग्न है।

नागपुर

दि. - 28.04.2016

आपका स्नेही -

Bati

राजेश सुयक्षेप पाटील
 आवेक